

न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-160 / 2017

संस्थित दिनांक-17.04.2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-मलाजखण्ड
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

मनीष धारवे पिता राजेन्द्र धारवे, जाति-पनिका, उम्र-20 वर्ष,
 निवासी वार्ड नंबर-04 मोहगांव थाना मलाजखण्ड,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - **आरोपी**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक 04/12/2017 को घोषित)

01- अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354, 341, 323, 506 भाग-दो के तहत आरोप है कि उसने घटना दिनांक 02.04.17 को समय 10:30-12:20 बजे तक थाना मलाजखण्ड अंतर्गत फरियादिया का घर ग्राम कोल्हियाटोला वार्ड नंबर 03 मोहगांव में फरियादिया कु0 जया राहंगडाले जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से बांया हाथ पकड़कर गले लगाने का प्रयत्न कर खींचतान कर आपराधिक बल का प्रयोग कर ग्राम पौनी मेन रोड में रास्ता रोक कर उसे जिस दिशा में जाने की अधिकारी थी, उस दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित कर झापड़ तथा जूते से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया तथा फरियादिया को संत्रास करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी जया राहंगडाले ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह वार्ड नंबर-03 मोहगांव में रहती है। घटना दिनांक 02.04.17 के 10:30 बजे दिन की है, वह अपने घर पर पूजा कर रही थी तथा उसकी माँ पीछे बाथरूम में नहा रही थी, तभी उसके घर का दरवाजा खट-खटाने की आवाज सुनकर दरवाजा खोलने पर उसका क्लासमेट मनीष धारवे अंदर आया और बोला कि वह उससे बात करना चाहता है। उसके मना करने पर मनीष ने जबरदस्ती उसके बांये हाथ की कलाई पकड़कर बुरी नियत से उसे गले लगाना चाहा, तभी वह मम्मी कहकर चिल्लाई और झटका मारकर मम्मी के तरफ अंदर जाने लगी, तो मनीष धारवे ने उसे तीन झापड़ मारा, तब-तक उसकी मम्मी बाथरूम से दौड़कर आई तब मनीष धारवे उसके मकान के अंदर से निकल कर अपनी स्कूटी में बैठकर चला गया। उसने सोचा कि अब घर से चला गया हैं तो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। इसके बाद वह अपने छोटे भाई विकास के साथ मोटर सायकिल से बंजारीटोला

मंदिर पूजा करने गई थी और पूजा करने के बाद वापस घर जा रही थी कि ग्राम पौनी मेन रोड़ में मनीष धारवे अपनी स्कूटी से करीब 12:20 बजे मिला और उसके भाई की मोटर सायकिल के सामने अपनी स्कूटी को खड़ा कर रास्ता रोक कर बोला कि वह उससे शादी करेगा और उसने उससे शादी नहीं की तो वह उसे किसी से शादी नहीं करने देगा। उसके आपत्ति करने पर मनीष धारवे ने फिर से उसे थप्पड़ मारा, जिससे वह रोड़ से नीचे पटरी पर गिर गई। मनीष ने जूता उतारकर बांये कनपटी पर मारा था। उसके बाद वहाँ पर आसपास के लोग आ गये। घटना को उसके भाई विकास, मोनू, दिनेश ने देखे है। आरोपी जाते-जाते किसी दूसरे से शादी की तो जान से खत्म कर दूंगा की धमकी दे रहा था। प्रार्थिया का मुलाहिजा कराया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अंतर्गत धारा-354, 341, 323, 506 भाग-दो भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका-नक्शा, प्रार्थिया एवं गवाहों के कथन लेख किये गये। विवेचना दौरान आरोपी द्वारा घटना में प्रयुक्त दो पहिया वाहन स्कूटी मेस्ट्रो बिना नंबर की पेश करने पर जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र क्रमांक 36/17 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354, 341, 323, 506 भाग-दो के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत कु0 जया राहंगडाले ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपी को शमनीय प्रकृति की धारा-341, 323, 506(भाग-2) के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया गया तथा धारा-354 भा.द.वि. के शमनीय न होने से विचारण किया गया।

04- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:-

1. क्या आरोपी ने घटना दिनांक 02.04.17 को समय 10:30-12:20 बजे तक थाना मलाजखण्ड अंतर्गत फरियादिया का घर ग्राम कोल्हियाटोला वार्ड नंबर 03 मोहगांव मे फरियादिया कु0 जया राहंगडाले जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से बांया हाथ पकड़कर गले लगाने का प्रयत्न कर खींचतान कर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

-:विवेचना एवं निष्कर्ष :-

05- साक्षी जया अ.सा.01 ने कथन किया है वह आरोपी को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब दो माह पूर्व सुबह करीब 11 बजे ग्राम मोहगांव की है। घटना के समय उसके घर के पास उसका आरोपी के साथ विवाद हो गया था। उसकी मम्मी के समझाने पर आरोपी अपने घर चला गया। बाद में उसने घटना के संबंध में पुलिस थाना मलाजखण्ड में लिखित आवेदन दिया था, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

पुलिस ने उसके आवेदन पर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 दर्ज की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटना का मौका नक्शा प्र.पी.03 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

06— साक्षी जया अ.सा.01 के अनुसार अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 02.04.2017 को वह एवं उसकी माँ घर पर थी, तभी दरवाजा खट-खटाने पर जाकर देखा तो आरोपी आया था जो उससे बात करना चाहता था, मना करने पर आरोपी ने जबरदस्ती उसकी बाईं कलाई पकड़कर उसे बुरी नियत से गले लगाना चाहा तब उसने मम्मी को आवाज दी और झटका मारकर अंदर जाने लगी तो आरोपी ने उसे थप्पड़ मारा, उसकी मम्मी को आते देखकर आरोपी स्कूटी में बैठकर चला गया, बाद में छोटे भाई विकास के साथ बंजारीटोला मंदिर से पूजा करके लौटते समय पुनः ग्राम पौनी रोड में आरोपी मिला जिसने अपनी स्कूटी को उनकी मोटर सायकिल के सामने लाकर खड़ा कर दिया और रास्ता रोक कर उससे शादी करने की बात कहने लगा, उसके विरोध करने पर आरोपी ने उसे पुनः थप्पड़ मारा और जूता उतारकर बाईं कनपटी पर मारा, घटना को आसपास के लोगों ने तथा मेरे भाई ने देखा और आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्र. पी.04 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये जाने पर उसने ऐसा कथन पुलिस को देने से इंकार किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय उसका आरोपी के साथ मौखिक विवाद हुआ था, उसने पुलिस को मौखिक विवाद के संबंध में ही बताया था, उसका आरोपी के साथ समझौता हो गया है और वह उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है।

07— फरियादी कु0 जया राहंगडाले अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वर्तमान में उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है और वह आरोपी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। स्वयं फरियादी जया अ.सा.01 ने घटना के समय आरोपी से केवल मौखिक विवाद होना व्यक्त कर आरोपित अपराध से स्पष्ट इंकार किया है। प्रकरण में अन्य कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया कु0 जया राहंगडाले जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से बांया हाथ पकड़कर गले लगाने का प्रयत्न कर खींचतान कर आपराधिक बल का प्रयोग किया। अतः अभियुक्त मनीष धारवे को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

08— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

09— प्रकरण में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है।
उक्त संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में
संलग्न किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर टंकित।
दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही / —
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला बालाघाट

सही / —
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (आरोप)
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)

सामान्य जानकारी हेतु
कीय / विधिक उपयोग हेतु